न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)राज0
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 11/2016

1– किशना पुत्री बाघाराम पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–जेठी पत्नी स्व0 बाघाराम

जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर

2–मंगलाराम पुत्र रूपाराम

जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर ।

3–कमा पुत्री बाघाराम पत्नी मंगलाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर

4–मांगीदेवी पुत्री बाघाराम पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी बकवास हाल निवासी प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर

5–जेठाराम पुत्र पेमाराम

जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर

6–तहसीलदार/नायब तहसीलदार डीडवाना

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

2–श्री समदर सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 की ओर से।

अपील विरूद्ध तहसीलदार डीडवाना के नामान्तकरण सं0 36 दिनांक 12.01.1983 अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निर्णय

दिनांक:30.09.2021

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार डीडवाना के नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक : 12.01.1983 ग्राम बकवास तहसीलदार डीडवाना के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 03 ता 04 सगी बहिने है, जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 एवं स्व0 बाघाराम की पुत्रियां है तथा स्व0 भैरूराम की पोत्रियॉ हैं। इनका खेत मौजा बकवास की सरहद में खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 29 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 90 करबा 01 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 96 रकबा 01 बिस्वा, खेत ख0नं0 84 रकबा 37 बिघा 12 बिस्वा कुल रकबा 72 बीघा 11 बिस्वा है। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट से0 1 ,3 व 4 का हिस्सा 1/2 है व जेठाराम पुत्र पेमाराम का हिस्सा 1/2 है। पेमाराम व बाघा राम दोनों सगे भाई थे, पेमाराम के एक जायन्दा पुत्र जेठाराम है तथा बाधाराम के तीन पुत्रियॉ व पत्नी है। इस प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3 के हक अधिकार में 1/2 में से 1/4 भाग अपीलान्ट के हक अधिकार में आता हैं बाघाराम की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके वारिसान का नामान्तकरण भरते वक्त अपीलान्ट का नाम विरासती नामान्तकरण में नहीं भरा गया ।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(3)(1)– यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

(3)(2)– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

(3)(3)– यह है कि नामान्तकरण सं0 36 दिनांक 12.01.1983 व नायब तहसीलदार, डीडवाना द्वारा स्वीकृत किया गया है, उसमें पटवारी हल्का, खरेश द्वारा यह लिखा गया है कि पेमा एवम बाघा दोनो फौत हुए कई वर्ष हो गये, पेमा के जायन्दा लड़का जेठा पुत्र पेमा एवम बाघा के कोई पुत्र नहीं, उसकी पत्नी मु. जैठुड़ी बैवा बाघा मौजुद है, अतः नामान्तकरण भरा गया,सो स्वीकृत हो।

(3)(4)– यह है कि दिनांक 12.01.1983 को ही आर.आई. खुनखुना ने यह टिप्पणी की कि नामान्करण देरी से हुआ है, पेनल्ट 10/– रूपये लगाना वाजिब है, पुछताछ करने पर अंकन सही पाया गया'' व उसी दिन नायब तहसीलदार, डीडवाना ने नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया । उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने में किसी प्रकार की काई कानूनी कार्यवाही सही तरीके से नहीं अपनाई गई, जिससे नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है।

(3)(5)– यह है कि नामान्तकरण में आर.आई. व पटवारी तथा नायब तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई स्व0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बाघाराम के तीन पुत्रियॉ और मौजूद थी, जिनका नामान्करण नहीं भरा गया, केवल मात्र पत्नी के नाम ही नामान्करण भरा गया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3)(6)– यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवम आर.आई. की रिपोर्ट में भी तीन पुत्रियों का हवाला नहीं दिया गया, जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

(3)(7)– यह है कि अपीलान्ट स्व0बाघाराम की विधि उत्तराधिकारीगण है, फिर भी इसके नाम नामान्तकरण नहीं भरा जाना विधिक के विपरित है।

(3)(8)– यह है कि किसी भी मृतक खातेदार की खातेदारी की भूमि में उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके समस्त उत्तराधिकारीगणो के नाम नामान्तकरण भरा जाना चाहिये लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं0 36 जैर अपील मृतक खातेदार बाघाराम के केवल एक पत्नी का नाम भर कर कानून की अवहेलना की है, जिससे नामान्तकरण जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

(3)(9)–यह है कि नामान्तरकरण सं0 36 में बाघाराम किस तारीख को फौत हुआ, ऐसा कुछ भी अंकित नहीं किया है, इस कारण नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

(3)(10)–यह है कि नायब तहसीलदार ने केवल मात्र आ.आई. के इस इन्द्राज पर की गई जॉच सही है, के आधार पर नामान्तरकरण अमल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दरामद करने का आदेश कर दिया, जो कि विधि सम्मत नहीं है। इस कारण नामान्तकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}(11)–यह है कि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं0 36 जैर अपील भरने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की और केवल मात्र एक पत्नी के नाम बिना जॉच किये नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया, उसकी विधिक वारिसान तीन पुत्रियों के नाम नामान्तकरण में अंकित नहीं किये, इसके संबंध में कुछ भी नहीं लिखा कि विधिक वारिसान का नाम नामान्तकरण में क्यों नहीं इन्द्राज किया गया। जिस कारण से भी नामान्तकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}(12)–यह है कि पटवारी हल्का द्वारा कॉलम सं0 14 में यह लिखा गया है कि बाघाराम के पत्नी जेठुड़ी के नाम खातेदारी स्वीकृत करावें ऐसा कोई अधिकार पटवारी को लिखने का नहीं था। हल्का पटवारी को समस्त विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरना चाहिये था, लेकिन केवल मात्र पत्नी के नाम ही नामान्तरकरण भरने से भारी कानूनी भूल की है, जो नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}(13)–यह है कि राजस्व अधिकारियों एवंम कर्मचारियों द्वारा स्व0 बाघाराम के विधिक वारिसान का नाम नामान्तकरण में अमल दरामद नहीं किया जाकर भारी कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(3)(14)–यह है कि नामान्तकरण की जानकारी वर्तमान में नकल खतौनी लेकर दिनांक 08.03.2016 को नामान्तकरण की नकल लेने पर ज्ञात हुआ है ।

(4)– अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 21.03.2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 04.04.2016 को मियाद का बिन्दू विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड़ ने अपना वकालतनामा पेश किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5, 6 के नोटिस तामिल के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का नोटिस सही पते का नही होने से तामिल नहीं होने से दिनांक 11.08.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के खिलाफ आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही ड्रोप की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्रांक:भू0अ0/2017/2352 दिनांक 19.05.2017 के द्वारा न्यायालय को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

(5) – अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

(6) – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको नामान्तरकरण की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नकल दिनांक 08.03.2016 को लेने से हुई। तथा अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील दिनांक 09.03.16 को पेश की गई है। इसके बावजूद भी अपील करने से देरी हुई तो माफ कर अपील को मियाद में होना शुमार कराने बाबत निवेदन किया हैं। अतः नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मियाद एक माह होती हैं तथा अपीलान्ट ने नकल प्राप्त करने की दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर अपील न्यायालय में पेश कर दी गयी। अतःअपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारियों को जो अनुसूचित के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है को न्यागत होगी। पुत्रियां मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट जो अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया है को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है क्योंकि अपीलान्ट प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसकी पीठ पीछे बिना सुनवाई के स्वीकृत नामान्तरकरण में मियाद का कोई महत्व नहीं है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में मियाद तात्विक नहीं है।

{7}– वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं0 36 जैर अपील भरने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की और मात्र पत्नी के नाम बिना जॉच किये नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया, उसकी विधिक वारिसान तीन पुत्रियॉ के नाम नामान्तकरण में अंकित नहीं किये, इसके संबंध में कुछ भी नहीं लिखा कि विधिक वारिसान का नाम नामान्तकरण में क्यों नहीं इन्द्राज किया गया। जिस कारण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

से भी नामान्तकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादग्रस्त नामान्तकरण स्वीकृत करते वक्त बाघाराम के विधिक वारिसान का नाम नामान्तकरण में अमल दरामद नहीं किया जाकर भारी कानूनी एवम वाक्याती भूल की है जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में यह स्वीकार किया कि अपीलान्ट मृतक खातेदार की पुत्री है लेकिन अपीलान्ट द्वारा पेश अपील मियाद बाहर पेश की है जो खारिज होने योग्य है।

{8}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बकवास तहसील डीडवाना के नामान्तरकरण सं0 36 जो नायब तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 12.1.83 को स्वीकृत किया गया है में मृतक खातेदार बाघाराम पुत्र भेरूराम की विरासत के रूप में उनकी पत्नी का नाम अंकन किया गया है। नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने यह अंकन किया है कि बाघाराम के कोई पुत्र नहीं है उसकी पत्नी मु. जेठुड़ी बेवा बाघा मौजूद है। इस प्रकार मृतक खातेदार बाघा की पत्नी के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जबकि उनकी जायन्दा पुत्रिया भी होना रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया है जो अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं0 3 एवं 4 हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार काई अभिधारी निर्वसीयत मर जाये तो उसकी जोत में उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसमें वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था, न्यागत होगा । हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत फौत होने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूचि के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं को न्यागत होगी। वर्ग 1 के वारिस पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, उसकी विधवा तथा अन्य दर्शाये गये हैं। अर्थात पुत्रियां मृतक खातेदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और मनमाने ढंग से उनको उनके पिता की भूमि से वंचित नही किया जा सकता है एवं नामान्तरकरण भरने में उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार बाघाराम पुत्र भेरूराम की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरकरण सं0 36 दिनांक 12.01.83 ग्राम बकवास तहसील डीडवाना स्वीकृत किया गया है उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः उक्त नामान्तरकरण सं0 36 दिनांक 12.01.83 ग्राम बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर निरस्त किया जाता हैं

:::: **आदेश** ::::

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम बकवास तहसील डीडवाना का नामान्तरकरण सं0 36 दिनांक 12.1.83 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार डीडवाना को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दानों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर मृतक खातेदार के वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)